

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंग नं. 11722/2013/अलेसे-II/433 दिनांक:- 07-07-2023

कार्यालय आदेश

श्री योगेश, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंग नं.-11722) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर जिनकी जन्म दिनांक 01.04.1986 है, ने अपने विभाग के पत्रांक 64 दिनांक 24.05.2023 द्वारा अपना नाम योगेश से परिवर्तित कर योगेश अरोड़ा किये जाने का आवेदन किया है।

राजस्थान सेवा नियम के नियम 8(क) के निर्णय 5 के अनुसार राजस्थान राजपत्र (गजट) के साधारण अंक 38 भाग संख्या 7 के पृष्ठ संख्या 3790 दिनांक 16.12.2021 में प्रकाशित बंधपत्र एवं समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के दिनांक 05.01.2023 के अंक में प्रकाशित सूचना के आधार पर इनका परिवर्तित नाम योगेश अरोड़ा विभागीय रिकार्ड में दर्ज किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंग नं. 11722/2013/अलेसे-II/433 दिनांक:- 07-07-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
2. श्री योगेश अरोड़ा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
- 3- उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- निजी सचिव/निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- 5- निजी/रक्षित पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)